



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 19, गुरुवार, शाके 1939- फरवरी 8, 2018  
Magha 19, Thursday, Saka 1939-February 8, 2018

भाग 1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर  
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 02, 2018

संख्या एफ 7(170)/रालसा/संयुक्त सचिव/संस्था.-वि संशोधन/2018/61 :- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) की धारा 29क के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावित होंगे।
2. अनुसूची 'क' का संशोधन - राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 से संलग्न विद्यमान अनुसूची 'क' के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा.-

अनुसूची 'क'

(विनियम 19 देखिये)

विधिक सहायता की मंजूरी के लिए आवेदन

रजिस्ट्रीकरण:-

1. नाम
2. स्थायी पता
3. सम्पर्क पता मय फोन नं., यदि कोई हो तो,  
ई-मेल आई.डी. यदि कोई है
4. क्या आवेदक अधिनियम की धारा 12 में वर्णित व्यक्तियों के प्रवर्ग से है
5. आवेदक की मासिक आय
6. क्या अधिनियम की धारा 12 के अधीन आय/पात्रता समर्थन में शपथपत्र/सबूत दिया गया है
7. अपेक्षित विधिक सहायता या सलाह की प्रकृति
8. मामले का संक्षिप्त विवरण, यदि न्यायालय आधारित विधिक सेवा अपेक्षित है

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:-

दिनांक:-

आज्ञा से,  
एस.के.जैन,  
सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण  
जयपुर।

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JAIPUR  
RAJASTHAN HIGH COURT PREMISES, JAIPUR BENCH, JAIPUR  
NOTIFICATION

Jaipur, February 02, 2018

No.F7(170)/RSLSA/JS/Estt.-R.A./2018/61:- The Rajasthan State Legal Services Authority, in exercise of the powers conferred on it by section 29A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987), hereby makes the following regulations further to amend the Rajasthan State Legal Services Authority Regulations, 1999, namely:-

most Urgent

JS  
6  
12/2

AO  
12.2.18.

1. **Short title and commencement.**- (1) These Regulations may be called the Rajasthan State Legal Services Authority (Amendment) Regulations, 2018.  
(2) They shall be deemed to have come into force from the date of publication in the Official Gazette.
2. **Amendment in Schedule 'A'.**- The existing Schedule 'A' appended to the Rajasthan State Legal Services Authority Regulations, 1999 shall be substituted by the following, namely:-

**Schedule "A"**  
(see Regulation 19)  
**Application for Grant of Legal Aid**

Registration No.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Name  | : |
| 2. Permanent Address   | : |
| 3. Contact Address with phone no. if any,<br>E-mail ID, if any.                                    | : |
| 4. Whether the applicant belongs to the category<br>of persons mentioned in section 12 of the Act  | : |
| 5. Monthly income of the applicant   | : |
| 6. Whether affidavit/proof has been produced<br>in support of income/eligibility u/s 12 of the Act | : |
| 7. Nature of Legal aid or advise required  | : |
| 8. A brief statement of the case, if court based<br>legal services is required.                    | : |

**Place:**

**Date:**

**Signature of the applicant**

By Order  
S.K. Jain,  
Member Secretary  
Rajasthan State Legal Services Authority,  
Jaipur.

\_\_\_\_\_

**Government Central Press, Jaipur.**